भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1510

दिनांक 04.12.2024 को उत्तर देने के लिए

अवैध खनन

1510 श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विगत दस वर्षों के दौरान ऐसे कृत्यों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग राज्य सरकार को खनिजों के अवैध खनन, ढुलाई एवं भंडारण को रोकने तथा उससे संबंधित उद्देश्यों के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। इसलिए, अवैध खनन पर नियंत्रण मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार नीतिगत पहलों के माध्यम से समय-समय पर इन प्रयासों का समर्थन करती है तथा उन्हें बढ़ाती है। अवैध खनन की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं:

(i) एमएमडीआर अधिनियम, 1957 को एमएमडीआर (संशोधन) अधिनियम, 2015 के माध्यम से संशोधित किया गया, जिसमें धारा 21 और 23ग के साथ पठित धारा 30ख और 30ग में अन्य बातों के साथ-साथ अवैध खनन से निपटने के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। अवैध खनन को पांच वर्ष तक के कारावास तथा प्रति हेक्टेयर क्षेत्र पर पांच लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ दंडनीय बनाया गया है। अवैध खनन से संबंधित अपराधों की शीघ्र सुनवाई के उद्देश्य से विशेष न्यायालयों की स्थापना के भी प्रावधान किये गये हैं।

(ii) एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(ख) के अनुसार, प्रमुख खनिजों के लिए खनन पट्टा प्रदान करने के लिए खनन योजना को पूर्वापेक्षा बनाया गया है। खनन योजना में खनिज भंडार, भूविज्ञान, आश्मिकी (लिथोलॉजी), खनन के प्रकार, खनन क्षेत्र के पुनर्वास और बहाली आदि संबंधी अन्य आवश्यक विवरणों के अलावा, पांच वर्ष की अवधि के लिए उत्खनन के वार्षिक कार्यक्रम का ब्यौरा शामिल है।

(iii) खान मंत्रालय ने देश में अवैध खनन गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु आईबीएम के माध्यम से भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो-इंफॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी), गांधीनगर और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के सहयोग से खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) विकसित की है।

*****